



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 13, 2014/फाल्गुन 22, 1935

No. 639]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 13, 2014/PHALGUNA 22, 1935

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

का.आ. 748(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 30 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के संबंध में परिवाद दाखिल करने के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर प्राधिकृत करती है, अर्थात्—

क्रम सं.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 30 की उप-धारा (i)	क्षेत्राधिकार
	के खंड (क) के अधीन परिवाद दाखिल करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	

(1)	(2)	(3)
1.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण का रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बैठक के स्थान से संबंधित अधिकारिता के तत्संबंधी।

[फा. सं. 17(3)/2012-पीएल/एनजीटी (पीटी)]

अनिल संत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2014

S.O. 748(E).—In exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby authorises the officers specified in column (2) of the Table below to file complaints with regard to the offences punishable under the said Act, within the area of jurisdiction specified in the corresponding entry in column (3) of the Table aforesaid, namely:—

SI. No.	Officers authorized to file complaints under clause (a) of sub- section (1) of section 30 of the National Green Tribunal Act, 2010	Area of jurisdiction
(i)	(2)	(3)
1.	Registrar or Deputy Registrar or Assistant Registrar of the National Green Tribunal.	Corresponding to the jurisdiction of the respective places of sitting of the National Green Tribunal.

[F. No. 17(3)/2012-PL/NGT (Pt.)]

ANIL SANT, Jt. Secy.